बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 2023

संख्या 15/एम 1–01/2019 ..../सचिव, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग के पत्रांक 1852 दिनांक 28.06.2022 के द्वारा मैट्रिक उत्तीर्णता के पश्चात् तीन वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा के प्रमाण पत्र को इंटरमीडिएट के समकक्ष मान्यता दिए जाने पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।

इस मामले को विभागीय आदेश ज्ञापांक 423 दिनांक 19.02.2021 द्वारा गठित समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा सम्यक् समीक्षोपरांत निम्नवत् अनुशंसा की गई है :–

1. राज्य प्रावैद्यिक शिक्षा पर्षद, बिहार के सिलेबस के अनुसार तकनीकी शिक्षा (डिप्लोमा) में अन्य अभियंत्रण विषयों के अतिरिक्त भौतिकी, रसायनशास्त्र, गणित के साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी की भी पढ़ाई होती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा भी विज्ञान संकाय के विषय– भौतिकी, रसायनशास्त्र, गणित के साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी का भी पढ़ाई किया जाता है। अतः दोनो का पाठ्यक्रम समकक्ष है।

2. राज्य प्रावैद्यिक शिक्षा पर्षद, बिहार द्वारा पूर्व में यह निर्णय संसूचित किया जा चुका है कि 10वीं उत्तीर्ण के बाद डिप्लोमा प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट (10+2) प्रमाण पत्र से उच्चत्तर हैं। यह चार वर्षीय अभियंत्रण डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष उत्तीर्ण के समकक्ष है।

3. समिति द्वारा मैट्रिक के बाद तीन वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा के प्रमाण पत्र को Intermediate के समकक्ष मान्यता दिये जाने की अनुशंसा की गई है। उक्त के आधार पर विद्यार्थियों को उच्चत्तर शिक्षा प्राप्त करने हेतु नामांकन में तथा Intermediate पाठ्यक्रम के आधार पर दी जाने वाली नौकरियों में लाभ प्राप्त हो सकेगा।

समिति की उक्त अनुशंसा के आलोक में मैट्रिक उत्तीर्णता के पश्चात् तीन वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को इंटरमीडिएट (विज्ञान संकाय) के समकक्ष मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव में माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1–01/2019 -280. पटना, दिनांक 25.01. 2023

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सभी प्रधान सचिव/ सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना/सचिव, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ कुलपति/कुलसचिव, राज्य के सभी विश्वविद्यालय /सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/कार्मिकों के नियुक्ति से संबंधित सभी आयोग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.1.23
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव